

पर्या डिक्री  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला  
हनुमानगढ़

पीठारीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० - 113/2025

1. सीमा पत्नी धर्मपाल

2. सरोज पत्नी कृष्ण

3. रज्जो देवी पत्नी हंसराज बंजारा

4. कमला पत्नी बनवारीलाल

5. रोहिताश पुत्र बनवारीलाल

6. हुकमसिंह पुत्र रुपसिंह

7. मुकेश कुमार पुत्र कृष्णलाल

8. रवि कुमार पुत्र कृष्णलाल

9. लालचन्द पुत्र रुपाराम

जाति बाजीगर निवासीयान रामपुरा मटोरिया

तहसील रावतसर तहसील रावतसर

जिला हनुमानगढ़

जाति बाजीगर निवासीयान मेहरवाला तहसील टिब्बी

जिला हनुमानगढ़

जाति बाजीगर निवासीयान मेहरवाला तहसील टिब्बी

जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम्

1. कौशल्या पत्नी रोशनलाल जाति बाजीगर निवासी बालासर तहसील व जिला सिरसा।

2. रूकमा पत्नी सुभाष जाति बाजीगर निवासी लुदास तहसील व जिला हिसार।

3. लिछमा देवी पत्नी रुपाराम उर्फ रुपसिंह जाति बाजीगर निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी  
जिला हनुमानगढ़

4. कमलेश देवी पत्नी विनोद कुमार जाति बाजीगर निवासी ठाकरूवाला

5. सुमित्रादेवी पत्नी कृष्णलाल जाति बाजीगर निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला  
हनुमानगढ़

6. सुनिता पत्नी राजेन्द्र

7. पूजा पत्नी विजयपाल

8. ममता पत्नी साहबराम

जाति बाजीगर निवासीयान 1 एल. जी. डबल्यू डबलीराठान

तहसील व जिला हनुमानगढ़

9. कलो पत्नी ओमप्रकाश जाति बाजीगर निवासी सरदारपुरा खालसा तहसील रावतसर जिला  
हनुमानगढ़

10. बन्तो देवी पत्नी राजाराम जाति बाजीगर निवासी बंगी ढाणी तहसील व जिला सिरसा।

11. सावत्री पत्नी साहबराम जाति बाजीगर निवासी 8 के. एम. रावतसर तहसील रावतसर  
जिला हनुमानगढ़

प्रतिवादीगण


डिक्री

दिनांक 30/11/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष

वकील वादी श्री महेश कुमार गौड व प्रतिवादी वकील सुनिल शर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय

हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर सर्विस होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चकनं 5 एनडीआर के खाता सं 61/55 में दर्ज दुतीराम की कुल 1.746 है 0 अमका आराजी में वादीगण सं 1 ता 3 सीमा, सरोज, रज्जोदेवी को बहिष्कृत 1.746 है 0 कदीस सं 4 कमला, वादी सं 5 रोहिताश को बहिष्कृत 1.746 है 0, वादी सं 6 दुकम सिंह की 1.746 है 0. वादीगण सं 7 मुकेश कुमार व वादी सं 8 रवि कुमार को बहिष्कृत 1.746 है 0, वादी सं 9 लालचन्द को 1.746 है 0 आराजी का वादीगण को खातेदार कागजात घोषित किया जाकर चकनं 5 एनडीआर ए के खाता सं 61/55 में से दुतीराम को नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिए जाते है तहसीलदार राजस्व टिकी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद स्या किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरमद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/4/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(राजेंद्र प्रसाद R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
टिकी।